रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16 1987/पौष 26, 1908
No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1987/PAUSA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1987

अधिसूचना

सं.-13/87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 39 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं. 451/86-सीमा-शुल्क, तारीख 21 अक्तूबर, 1986 को अधिक्रांत करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं. 1 के अंतर्गत आने वाली काफी को, जब उसका भारत के बाहर निर्यात किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से छूट देती है, जितना 600 रु. प्रति क्विंटल से अधिक है।

[फा. सं. एस. 3/85-टी आर यू (वाल्यूम 2)]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th January, 1987

NOTIFICATION

NO. 13/87-CUSTOMS

GSR 39(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 451/86-Customs, dated the 21st October, 1986, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 600 per quintal.

[F. No. S. 3/85-TRU (Vol II)]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987